न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर, कैम्प मालसर
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

379/2008
एमएस : 2008/00058
दलजीतसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह जाति कम्बोसिख साकिन 9पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
—:वादीगण

बनाम

1. चरणकौर पत्नी श्री प्यारासिंह जाति कम्बोसिख साकिन 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
   1/1 दलजीतसिंह वादी
   1/2 सतेन्द्रजीतसिंह प्रतिवादी संख्यां 2
   1/3 पिन्द्रजीतसिंह प्रतिवादी संख्या 3
2. सतेन्द्रजीतसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह जाति कम्बोसिख साकिन 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (मृतक)
   2/1 जसविन्द्रकौर पत्नी श्री सतेन्द्रजीतसिंह जाति कम्बोसिख साकिन 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर।
   2/2 गुरविन्द्रकौर पत्नी श्री राजविन्द्रसिंह पुत्री श्री सतेन्द्रसिंह जाति कम्बोसिख साकिन दुराहा तहसील पायल पो. ऑ रेलवे रोड़ दुराहा जिला लुधुयाना (पंजाब)
   2/3 इकबालसिंह पुत्र श्री सतेन्द्रजीतसिंह जाति कम्बोसिख साकिन 9 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
3. पिन्द्रजीतसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह जाति कम्बोसिख साकिन 9 पीएस तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—53—90—92—209राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955</u>

तारीख रजू 03.03.2008

उपस्थित अधिवक्तागण.

1. **श्री राजाराम पूनिया वादीगण अधि.**
2. **श्री सोहनलाल जोशी प्रति. सं. 1—2 अधि.**

—: निर्णय :— दिनांक : 06.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी व वादी के माता—पिता व दादी भारत पाक विभाजन के पूर्व पाकिस्तान में भौजा हरीपुर 624 तहसील जड़ावाला जिला लावसपुर में निवास करते थे। भारत पाक विभाजन के पश्चात वादी व वादी के माता चरनकौर पिता प्यारासिंह व दादी निहालकौर भारत में आये तो भारत सरकार ने हमें बसाने के लिए चक 9 पीएस के मु.नं. 71 के कि.नं. 3—4 सालम सालम व 5 के 10 बिस्वा व मु.नं. 72 के कि.नं. 1 ता 10 सालम कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन हम चार सदस्यो की बहिस्सा बराबर—बराबर दी। इस प्रकार वादी के हिस्सा में 3 बीघा ढ़ाई बिस्वा, प्रतिवादी नं. 1 चरणकौर के हिस्सा में 3 बीघा ढ़ाई बिस्वा, वादी के पिता प्यारासिंह के हिस्सा में 3 बीघा ढ़ाई बिस्वा भूमि व दादी के हिस्सा में 3 बीघा ढ़ाई बिस्वा भूमि हिस्सा में आई। कुछ अरसा बाद भारत में आने के पश्चात मेरी दादी मु. निहालकौर का भी देहान्त हो चुका है। निहालकौर को भूमि में से वादी तथा मेरा पिता प्यारासिंह व मेरे भाई प्रतिवादीगण संख्या 2—3 कुल चार हिस्सेदार है। मेरे पिता प्यारासिंह का देहान्त दिनांक 14.01.2008 को हो चुका है। प्यारासिंह की भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर—बराबर के हिस्सेदार है। इस प्रकार प्यारासिंह की भूमि में मेरा हिस्सा 1/4 हिस्सा है। तारीख में 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। जो हैक्टयरों में 3.758 है। इसमें से मेरा हिस्सा है जो मेरे हिस्सा में 0.339 है. आई व दादी व पिता की भूमि में मेरे हिस्सा में 0.470 है भूमि हिस्सा में आई जो अपने—अपने हिस्सा की भूमि की अधिकारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। हमारे परिवार का मुखिया मेरा पिता प्यारासिंह है की वजह से सारी भूमि मेरे पिता प्यारासिंह के नाम दर्ज हो गई। मेरे पिता ने अपने हिस्सा की भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

चक 9 पीएस के पं.नं. 183/283 के मु.नं. 72 के कि.नं. 2 व 3 सालम 0.506 है. भूमि मुझ वादी को बेच दी व प्रतिवादी सं. 2 की चक 9 पीएस के पं.नं. 183/283 के मु.नं. 72 के कि.नं. 1–8 ता 10 सालम–सालम कुल 1.012 है. भूमि बैच दी इस प्रकार मेरे पिता ने अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि बैच दी है। यानि मेरी माता के हिस्सा में अब कोई भूमि नहीं रही है। इस प्रकार मेरे हिस्सा में 1.409 है. व खरीद शुद्वा 0.506 है कुल 1.915 है. आई है जो में प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। प्रतिवादीगण को मेने पंचायत इकठी कर दिनांक 27.02.2008 को समझाया। मेरे हिस्सा में आई भूमि का राजस्व कागजात में मेरे नाम अमलदरामद करवा दो तो प्रतिवादीगण मेरे को जमीन देने से इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाय मुखारमत है। बिनाय दावा वादी को जन्म से प्राप्त है। अब वादी के पास श्रीमान् के न्यायालय में चाराजोई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए श्रीमान् के न्यायालय में अपने हकों की घोषणा करवाने का वाद–पत्र पेश कर दिया है। विवादित भूमि श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीह है। अतः वादी की ओर से वाद–पत्र पेश करके अर्ज है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाई जावे कि चक 9 पीएस के पं.नं. 183/283 के मु.नं. 72 व पं.नं. 184/283 के मु.नं. 71 के कुल 3.758 है. भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा व वादी के दादी व पिता मरने के बाद उनके हिस्सा से 1/4 हिस्सा यानि 1.409 है. भूमि का खतेदार घोषित किया जावे व खरीद शुद्वा भूमि 0.506 है. मिलाकर कुल 1915 है. भूमि का किलेवाईज विभाजन कर राजस्व कागजात में अमल दरामद करने का आदेश किया जावे ।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की तरफ से श्री सोहनलाल जोशी व प्रति. सं0 3 स्वयं हाजिर आया प्रति सं. 1–2 की तरफ से श्री सोहनलाल जोशी अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया। कि वाद पत्र धारा सं. 1 जाब्ता दिवानी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है भारत–पाक विभाजन के पश्चात यह परिवार भारत मे अवश्य आया था परन्तु भारत सरकार ने उनको बसाने के लिए चक 9 पीएस में मु.नं. 71 के 2.10 बीघा व मु.नं. 72 के 10 बीघा कुल 12.10 बीघा भूमि अलाट नही की थी बल्कि स्व. प्यारासिंह द्वारा धारित भूमि पाकिस्तान रह जाने के कारण उनकों यह सम्पति उनकी भूमि के बदले में दी गई थी, जो मात्र प्यारासिंह को ही दी गई थी, बाकी किसी भी सदस्य का इसमें कोई भाग नही था और ना ही वादी के हिस्सा में इस भूमि मे से कोई 3 बीघा 2 1/2 बिस्वा भूमि व प्रति. सं. 1 को 3 बीघा 2 1/2 बिस्वा भूमि आई और ना ही दादी को 3 बीघा ढ़ाई बिस्वा भूमि आई। यह समस्त 12.10 बीघा भूमि स्व. श्री प्यारासिंह अकेले की ही थी और इसी कारण भारत सरकार ने इसी सम्पति 12.10 बीघा भूमि की सनद खातेदारी भी स्व. प्यारासिंह अकेले के नाम ही प्रसारित की है प्रति. सं. 1 की सास व प्रति. सं. 2 व 3 की दादी निहाल कौर का देहान्त होना सही है परन्तु निहालकौर के देहान्त के पश्चात वादी या प्रति. सं. 2 व 3 का इसमें भाग नहीं है प्रथमतयाः तो मु. निहालकौर का इस सम्पति में कोई भाग किसी प्रकार का नहीं था तथा इसके अलावा निहालकौर की मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादी उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है, क्योकि कि उनकी मृत्यु के समय उनके एक मात्र पुत्र प्यारासिंह जीवित थे, इसलिए अगर मु. निहालकौर का कोई भाग था (जैसा कि प्रतिवादीगण नहीं मानते) तो उस भाग को मात्र स्व. श्री प्यारासिंह ही उत्तराधिकारी के रूप में [illegible] हो गया। प्यारासिंह की मृत्यु के पश्चात भी वादी व प्रति.स. 1 [illegible] उन द्वारा छोड़ी गई उपरोक्त सम्पति में कोई भाग नहीं है, क्योकि स्व. [illegible] प्यारा[illegible] ने अपनी समस्त सम्पति की वसीयत अपने पुत्रों व पत्नी की राय से अपने पौत्र ईकबालसिंह पुत्र श्री सत्येन्द्रजीतसिंह के नाम दिनांक 07.08.2000 को निष्पादित [illegible] पंजीकृत करवाई हुई है, और इस वसीयत को वादी का भी भली भांति ज्ञान है और इस वसीयत के आधार पर श्री ईकबालसिंह ने श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर के यहां इन्तकाल के लिए कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है, परन्तु वादी ने इस दावा में जानबूझकर के इस वसीयत

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

...आधार झुठे तथ्य दर्ज किये है। जिनका जवाब उल जवाब पेश करना जरूरी हो गया है इसलिए न्यायहित मे जवाब उल जवाब पेश करने की स्वीकृति दी जावे। वादी का प्रार्थना पत्र आ. 08 नि. 9 व धारा 151 सीपीसी दिनाकं 14.07.2009 को स्वीकार किया गया। वादी दलजीतसिंह ने दिनांक 09.09.2009 को प्यारासिंह के देहान्त हो जाने के बाद में प्यारासिंह के हिस्सा की भूमि में उसके सभी वारिसान का बराबर-बराबर हिस्सा है। प्यारासिंह अपने हिस्से तक की भूमि की ही वसीयत कर सकता है। प्यारासिंह ने अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि अपने जीवनकाल में ही सत्येन्द्रजीतसिंह व वादी को बैच दी है। इसलिए प्यारासिंह का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं रह गया है इस प्रकार से तथाकथित वसीयत शुरू से शून्य है जिस का वादी के हितो पर कोई असर नहीं है। वादी का विवादित भूमि में जब पाकिरतान से भारत में आये तब सदस्य के हिसाब से भूमि आवंटन की गई थी इसलिए 1/4 हिस्सा वादी का है और प्यारासिंह निहालकौर के देहान्त हो जाने के बाद उनकी भूहिम में वादी व प्रतिवादीगण का समान हिस्सा हैं। जो वसीयत प्यारासिंह ने करवाई है वह गलत है क्योकि प्यारासिंह अपने हिस्सा तक की भूमि की ही वसीयत कर सकता है और प्यारासिंह ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा से ज्यादा भूमि बैच दी हैं जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में जवाब उल जवाब रिकाड पर लिया जाकर दावा का भाग माना जावे।

दिनांक 12.10.2009 को सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया।

हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

1. आया कि चक 9 पीएस के मु.नं. 71 के कि.नं. 3-4 सालम-सालम 5 के 10 बिस्वा तथा मु.नं. 72 के कि.नं. 1 से 10 सालम, कुल 12.10 बीघा भूमि परिवार के सदस्यों के आधार पर वादी दलजीतसिंह, वादी की माता चरनकौर, पिता प्यारासिंह व दादी निहालकौर के नाम आवंटित हुई, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। — वादी
2. आया कि वादी की दादी निहालकौर एवं वादी के पिता प्यारासिंह की मृत्यु के बाद वादी का उनकी भूमि में विरास्तन 1/4 हिस्सा है। — वादी
3. आया कि वादी के पिता प्यारासिंह ने अपने हिस्सा की भूमि में 2 बीघा भूमि का वादी को एवं 4 बीघा भूमि का बेचान प्रति.सं. 2 को कर दिया था और वह अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर चुके है, जिससे वादी की माता के हिस्से में कोई भूमि नहीं रही है। — वादी
4. आया कि वादी मु.नं. 71 एवं मु.नं. 72 की कुल 3.758 है. भूमि में 1/4 हिस्सा एवं वादी के दादी व पिता की मृत्यु के बाद उनके हिस्सा अर्थात् 1.409 है. भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है एवं खरीद शुद्वा भूमि 2 बीघा अर्थात 0.506 है. भूमि मिलाकर 1.515 है. भूमि का खातेदार घोषित होने का एवं किलावाईज विभाजन का अधिकारी है। — वादी
5. आया कि वादग्रस्त भूमि स्व. प्यारासिंह को बतौर पाक विस्थापित होने के कारण मुआवजे के रूप बतौर क्लेमेंट प्राप्त हुई थी, अतः उक्त आबंटित भूमि प्यारासिंह को अकेले की स्वअर्जित भूमि है। — प्रतिवादीगण
6. आया कि वादग्रस्त भूमि प्यारासिंह की स्वअर्जित सम्पति थी और प्यारासिंह ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि की वसीयत अपने पोते ईकबालसिंह पुत्र सत्येन्द्रसिंह जीतसिंह के नाम दिनांक 07.08.2000 को पंजीकृत करवा दी थी और उक्त वसीयत के कारण वादी का प्यारा सिंह की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। —प्रतिवादीगण
7. आया कि वाद पत्र में ईकबालसिंह पुत्र सत्येन्द्रजीतसिंह [illegible] नहीं बनाया गया है, अतः पक्षकारों के असयोजन के [illegible] है। —प्रतिवादीगण
8. आया कि वादी एवं प्रति. सं. 02 के [illegible] एवं पारिवारिक विभाजन के लिये किया गया [illegible] सा लेकर पूर्व मे अलग हो चुका है, अतः अब किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। —प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

9. अनुतोष ... साक्ष्य वादी में शपथ–पत्र पेश कर अपने साक्ष्य में जमाबंदी चक 9 पीएस वादी ने साक्ष्य वादी ... परिवार के सदस्या की सूची प्रदर्श–2, सनद प्रदर्श–1, सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी परिवार के सदस्या की सूची प्रदर्श–3 पेश की है इसके कृषि भूमि वाके चक 9 पीएस पुनर्वास अधिकारी द्वारा जारी प्रदर्श–3 पेश की है इसके साथ ही दिनांक 30.08.2019 को हरबंशसिंह पुत्र श्री सुबासिंह जाति कम्बोजसिख ने शपथ पत्र पेश किया है जिसमे अंकित है कि श्री प्यारासिंह पुत्र श्री आत्मासिंह जाति कम्बोज सिख साकिन 9 पीएस एवं पुत्रगण दलजीतसिंह, सत्येन्द्रजीतसिंह, पिन्द्रजीतसिंह को व्यक्तिगत जानता हूँ इस परिवार में सम्पत्ति का बंटवारा 1996 में हो गया था और सभी भाईयों ने अलग–अलग हिस्सा प्राप्त करके बंटवारे की लिखित कर ली थी। दलजीतसिंह ने अपने पिता की जायदाद में से अपना हिस्सा अपने पिता व सत्येन्द्रजीतसिंह से प्राप्त कर लिया था तथा अपना हिस्सा प्राप्त करने की लिखित ईकरारनामा के रूप में दिनांक 15.05.1996 को मेरे व दीदारसिंह पुत्र मैयासिंह के सामने की थी जिस पर मेरे व दीदारसिंह सामने दलजीतसिंह ने हस्ताक्षर किये थे। इस तहरीर पर मेरे व दीदारसिंह के हस्ताक्षर भी हुए थें। दीदारसिंह का स्वर्गवास हो चुका है

प्रतिवादी इकबालसिंह पुत्र श्री सतजेन्द्रजीतसिंह ने दिनांक 20.08.2019 को शपथ पत्र पेश किया है ब्यान में अंकित किया है कि चक 9 पीएस के मु.नं. 71 व 72 के 12 बीघा 10 बिस्वा की सनद प्रदर्श–**A**1 जिसकी नकल प्रदर्श– **A**1–**A** है इसके साथ प्रदर्श– **A**2–**A** है दलजीतसिंह का ईकारनामा दिनांक 15.05.1996 प्रदर्श **A**3 है जिसकी नकल प्रदर्श **A**3–**A** है उस पर दलजीतसिंह के हस्ताक्षर **A**–**B** है। पिन्द्रजीतसिंह द्वारा बाहमी बटवारा **A**4 है। जिसकी नकल **A**4–**A** है इस पर पिन्द्रजीतसिंह के हस्ताक्षर **A**–**B** है। पिन्द्रजीतसिंह द्वारा भूमि विकय ईकरारनामा दिनांक 20.03.1993 प्रदर्श– **A**5 है। इस पर पिन्द्रजीतसिंह के हस्ताक्षर **A**–**B** है। इसकी नकल प्रदर्श– **A**5–**A** है। प्यारासिंह के द्वारा मेरे पक्ष में की गई वसीयत प्रदर्श– **A**6 है इस पर प्यारासिंह के हस्ताक्षर **A**–**B** है। इसके प्रथम पृष्ठ के पीछे मोहर व हस्ताक्षर **C**–**D** उपपंजीयक रायसिंहनगर के है।

7. दिनाकं 11.08.2010 को वकील वादी ने प्रा.पत्र. आदेश 22 नियम 3 व 4 धारा 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 13.10.2010 को स्वीकार किया गया। दिनांक 26.10.2010 को वकील वादी ने प्रा. पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया जो दिनांक 28.01.2011को आधार हीन होने के कारण 500 की कोस्ट पर अस्वीकार किया गया। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई। राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2018 द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 को यथावत रखा गया है। दिनांक 12.03.2019 को वादी दलजीतसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह ने प्रार्थना पत्र आ. 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 01.04.2019 को इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आ. 22 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रति.सं. 02 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधन शीर्षक पेश किया गया।

8. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (A) आया कि चक 9 पीएस के मु.नं. 71 के कि.नं. ... सालम–सालम 5 के 10 बिस्वा तथा मु.नं. 72 के कि.नं. 1 से 10 सालम, कुल ... 10 ... भूमि परिवार के सदस्यों के आधार पर वादी दलजीतसिंह, वादी की माता चरणकौर, पिता प्यारासिंह व दादी निहालकौर के नाम आवंटित हुई, जिसमें वादी का 1/4 ... है। – वादी चक 9 पीएस के मु.नं. 71 के कि.नं. 3–4 सालम–सालम 5 के 10 बिस्वा तथा मु.नं. 72 के कि.नं. 1 से 10 सालम, कुल 12.10 बीघा भूमि परिवार के सदस्यों के आधार पर प्यारासिंह, चरणकौर (वादी की माता) दादी निहालकौर व वादी स्वयं को बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
...नगर

बराबर आवंटित हुई थी। इसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। यह तनकी बहक वादी, विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि वादी की दादी निहालकौर एवं वादी के पिता प्यारासिंह की मृत्यु के बाद वादी का उनकी भूमि में विरास्तन 1/4 हिस्सा है। — जिम्मेवादी

वादी की दादी निहालकौर की मृत्यु के पश्चात निहालकौर की प्रथम श्रेणी का वारिस (उत्तराधिकारी) उनका एक मात्र पुत्र प्यारासिंह है। इसलिए निहालकौर के हिस्सें की 3 बीघा ढाई बिस्वा भूमि का हकदार प्यारासिंह है। प्यारासिंह की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिस चरणकौर पत्नी प्रति. सं. 1 दलजीतसिंह वादी, व प्रतिवादी सं. 2 व प्रति. सं. 3 है प्रत्येक का 1/4 बहिस्सा बराबर के अधिकारी है अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि वादी के पिता प्यारासिंह ने अपने हिस्सा की भूमि में 2 बीघा भूमि का वादी को एवं 4 बीघा भूमि का बेचान प्रति.सं. 2 को कर दिया था और वह अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर चुके है, जिससे वादी की माता के हिस्से में कोई भूमि नहीं रही है। —:जिम्मेवादी

यह कि प्यारासिंह ने अपने हिस्से की भूमि में से 2 बीघा मु.नं. 72 के कि.नं. 2 व 3 सालम–सालम दलजीतसिंह को व मु.नं. 72 के कि.नं. 1–8–9–10 सालम–सालम सत्येन्द्रसिंह बल्द प्यारासिंह प्रति. सं. 2 को जरिये बैयनामा हस्तान्तरण कर दिया था। जो जमाबंदी संवत 2063–2066 के अनुसार दर्ज रिकार्ड है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी मु.नं. 71 एवं मु.नं. 72 की कुल 3.758 है. भूमि में 1/4 हिस्सा एवं वादी के दादी व पिता की मृत्यु के बाद उनके हिस्सा अर्थात् 1.409 है. भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है एवं खरीद शुद्दा भूमि 2 बीघा अर्थात 0.506 है. भूमि मिलाकर 1.515 है. भूमि का खातेदार घोषित होने का एवं किलावाईज विभाजन का अधिकारी है। —:जिम्मेवादी

मु.नं. 71 व मु.नं. 72 की भूमि 3.758है. भूमि में से 1/4 हिस्सा वादी की दादी निहालकौर व पिता प्यारासिंह की मृत्यु के पश्चात 1/4 हिस्सा व 2 बीघा खरीद शुद्दा भूमि कुल 0.796 है. सदस्यों के आधार पर आवंटन, 0.506 है. बैयनामा व 0.284 है. विरास्तन कुल 1.580 है. भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) आया कि वादग्रस्त भूमि स्व. प्यारासिंह को बतौर पाक विस्थापित होने के कारण मुआवजे के रूप बतौर क्लेमेंट प्राप्त हुई थी, अतः उक्त आबंटित भूमि प्यारासिंह को अकेले की स्वअर्जित भूमि है। —:प्रतिवादीगण

यह कि वादग्रस्त भूमि स्व. प्यारासिंह को बतौर पाक विस्थापित मुआवजे के तौर पर बतौर क्लेमेंट प्राप्त हुई है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उक्त भूमि प्यारासिंह अकेले को आवंटित नहीं हुई थी। बल्कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार यह प्यारासिंह स्व. चरणकौर पत्नी, निहालकौर माता, दलजीतसिंह पुत्र को सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई थी। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) आया कि वादग्रस्त भूमि प्यारासिंह की स्वअर्जित सम्पति थी और प्यारासिंह ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि की वसीयत अपने पोते ईकबालसिंह पुत्र सत्येन्द्रसिंह जीतसिंह के नाम दिनांक 07.08.2000 को [illegible] की थी और उक्त वसीयत के कारण वादी का प्यारा सिंह की भूमि [illegible] हक व हिस्सा नहीं है। —:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। [illegible] वादग्रस्त भूमि प्यारासिंह की स्वअर्जित सम्पति अकेले को नहीं थी। यह भूमि परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित की गई थी। दलजीतसिंह के हिस्से, निहालकौर की मृत्यु के पश्चात प्यारासिंह को विरास्तन प्राप्त भूमि व वादी दलजीतसिंह बैयनामा के माध्यम से हस्तान्तरित की गई भूमि की वसीयत करने का अधिकार प्यारासिंह को नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उन्हे अपने स्व अर्जित सम्पति की वसीयत करने का अधिकारी था। यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (G) आया कि वाद पत्र में ईकबालसिंह पुत्र सत्येन्द्रजीतसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः पक्षकारों के असयोजन के दोष के कारण वाद खारिज योग्य है। —:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था उक्त वाद में दिनांक 29.02.2008 को वाद में सत्येन्द्रजीतसिंह को पक्षकार बनाया गया है दिनांक 01.04.2019 को प्रा. पत्र आ. 22 नि. 4 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर सत्येन्द्रजीतसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है जिसमें ईकबालसिंह को प्रतिवादी के तौर पर पक्षकार संयाजित किया गया है उक्त तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (H) आया कि वादी एवं प्रति. सं. 02 के पक्ष में भूमि का बैयनामा नुमाईशी एवं पारिवारिक विभाजन के लिये किया गया था एवं वादी अपना हिस्सा लेकर पूर्व मे अलग हो चुका है, अतः अब किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। —:प्रतिवादीगण

वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बैयनामा नुमाईशी एवं पारिवारिक विभाजन के लिए किया गया है। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (**I**) अनुतोष

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 ता 8 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88—53—90—92—209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, बाबत राजस्व ग्राम 9 पीएस तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नम्बर 183 / 283, मुरब्बा नम्बर 72 के कि. नं. 1 ता 10 सालम व पं.नं. 184 / 283 के मु.नं. 71 के 3—4 सालम व 5 / 0.126 है 3.162 हैक्टेयर भूमि का प्रकरण भली—भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिग्री किया जाता है:—

1. वादी दलजीतसिंह पुत्र प्यारासिंह कम्बोसिख चक 9 पीएस के पत्थर नम्बर 183 / 283, मुरब्बा नम्बर 72 व पं.नं. 184 / 283 के मु.नं. 71 में से 0.790 है. (जीवो के आधार पर) 0.506 है (बैयनामा) व 0.284 है.(विरास्तन) कुल 1.580 है. भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 02 सतेन्द्रजीतसिंह पुत्र.प्यारासिंह जाति कम्बोसिख चक 9 पीएस के पत्थर नम्बर 183 / 283, मुरब्बा नम्बर 72 व पं.नं. 184 / 283 के मु.नं. 71 में 1.012 है. (बैयनामा), 0.285 है. (विरास्तन) कुल 1.297 है. भूमि।
3. प्रतिवादी संख्या 03 पिन्द्रजीतसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति कम्बोसिख चक 9 पीएस के पत्थर नम्बर 183 / 283, मुरब्बा नम्बर 72 व पं.नं. 184 / 283 के मु.नं. 71 में 0.285 है. (विरास्तन) कुल 0.285 है. भूमि।

इस प्रकार तीनों को चक 9 पीएस के पत्थर नम्बर 183 / 283, मुरब्बा नम्बर 72 के कि.नं. 1 ता 10 सालम व पं.नं. 184 / 283 के मु.नं. 71 के 3—4 सालम व 5 / 0.126 है कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम पर्चा डिक्री इस आदेश की पालना हेतु जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:23:17 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner